

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर

पत्रांक/मा0प्रौवि0/विविध/4773/2026

दिनांक 22/09 / 2026

मेसर्स एम0 बी0 इण्टर प्राइजेज,
गोरखपुर

(कैफटेरिया, मा0मो0मा0 प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में संचालन हेतु)

विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कायदेशि पृ.सं./मा.प्रौ.वि./कुस.का./436/2023 दिनांक: 03 जून, 2023 के क्रम में आवासीय परिसर में आपको आवंटित (मेसर्स एम0बी0 इण्टर प्राइजेज गोरखपुर कैफटेरिया, मा0मो0मा0 प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में संचालन हेतु) उक्त का किराया, विद्युत, अधिभार एवं पानी शुल्क के बकाये का विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	माह	वर्ष	बिल धनराशि	जमा की तिथि	जमा की धनराशि	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	जून	2023	27596			
02.	जुलाई	2023	53171			
03.	अगस्त	2023	53171			
04.	सितम्बर	2023	53171			
05.	अक्टूबर	2023	66121			
06.	नवम्बर	2023	53171			
07.	दिसम्बर	2023	60571			
08.	जनवरी	2024	60571			
09.	फरवरी	2024	58721			
10.	मार्च	2024	57241			
11.	अप्रैल	2024	56871			
12.	मई	2024	61681			
13.	जून	2024	56501	14.06.2024	280000	
14.	जुलाई	2024	53171			दीक्षान्त समारोह के दृष्टिगत कैन्टीन संचालन बंद होने के कारण मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन के क्रम में माह- जुलाई एवं अगस्त, 2024 का सक्षम स्तर से किराया मॉफ किया गया है 110042=00
15.	अगस्त	2024	56871		माह जुलाई एवं अगस्त, 2024 मॉफ किराया ₹0 110042	
16.	सितम्बर	2024	61311			
17.	अक्टूबर	2024	64271			
18.	नवम्बर	2024	59461			
19.	दिसम्बर	2024	56131			
20.	जनवरी	2025	55761			
21.	फरवरी	2025	57611			
22.	मार्च	2025	55391			
23.	अप्रैल	2025	56501			
24.	मई	2025	57241			
25.	जून	2025	55021			
26.	जुलाई	2025	53171	24.07.2025	250000	
27.	अगस्त	2025	59461			
28.	सितम्बर	2025	58721			
29.	अक्टूबर	2025	59461		50000	EMD
30.	नवम्बर	2025	53171		113027	Mainteenece
31.	दिसम्बर	2025	53171	22.12.2025	150000	
32.	जनवरी	2026	53171			
33.	फरवरी	2026	53171	28.02.2026 05.03.2026	191858 100000	
कुल योग			18,50,798=00		12,44,927=00	

₹ 18,50,798 - ₹ 12,44,927 = ₹ 605871=00

Cub

उपरोक्तानुसार बकाया किराया, विद्युत, अधिभार एवं पानी इत्यादि शुल्क को जमा करने हेतु आपको अंतिम अनुस्मारक/अनुस्मारक-XII पत्रांक/मा0प्रौ010/विविध/3981/2026 दिनांक: 7.1.2026 दिये जाने के बावजूद भी अभी तक आप द्वारा बकाया बिल जमा नहीं किया जा रहा है। आपको आदेशित किया जाता है कि प्राथमिकता के आधार पर विश्वविद्यालय कोष (लेखानुभाग) में तत्काल जमा कराना सुनिश्चित करते हुए जमा रसीद की छायाप्रति प्रधान कार्यालय में विविध पटल सहायक पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आपको उक्त कार्य हेतु अब तक सात: अनुस्मारक दिये जा चुके हैं, परन्तु आप द्वारा अभी तक अपने बकाये किराये का भुगतान नहीं किया गया है। आप द्वारा यह कृत्य इस बात का द्योतक है कि आप किराये जमा करने में जान बूझकर अनावश्यक देरी/विलम्ब कर रहे हैं एवं विश्वविद्यालय को वित्तीय नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही उक्त कृत्य आप द्वारा विश्वविद्यालय के साथ किये गये अनुबंध की भी अवहेलना है। यदि आप द्वारा तत्काल (सात दिन के भीतर) अपने बकाये किराये का भुगतान नहीं किया गया तो विश्वविद्यालय द्वारा आपके प्रतिष्ठान को सील कर, उत्तर प्रदेश लोक धन (बकाया वसूली) अधिनियम, 1972 के तहत किराया वसूली की विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. पुलिस चौकी, मा0मो0मा0 प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
02. प्रभारी, सुरक्षा को इस आशय से उक्त फर्म के किसी भी सामान को विश्वविद्यालय से बाहर ले जाने हेतु गेट पास/अनुमति न दिया जाये।
03. वित्त नियन्त्रक।
04. सहायक अभियन्ता को इस आशय प्रेषित की पत्र प्राप्ति के सात कार्य दिवस के अन्दर न उक्त बकाया न जमा करने पर उक्त का बिजली, एवं पानी विच्छेदित करते हुये लिखित सूचना अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में अवगत कराने का कष्ट करें।
05. अधिष्ठाता छात्र मामले।
06. वेब मास्टर को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
07. कुलसचिव कार्यालय (गार्ड फाईल)।
08. वै0स0 कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

CWS
कुलसचिव

21/09/26.